आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

आई०सी०डी०एस० पुनरीक्षण वाद संख्या – 92/2021

श्रीमती विभा कुमारी

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	**आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर**	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
15.05.2023	प्रस्तुत पुनरीक्षणवाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के वाद सं०–158/2021 में दिनांक 21.10.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार दिनांक 08.02.2020 को विभागीय मार्गदर्शिका–19 के आलोक में पंचायत राज – शेरहवा, वार्ड न० – 07, केन्द्र सं० – 315 के लिए आम सभा हुआ, जिसमें चयन समिति द्वारा अनुसूचित वर्ग की कोई अभ्यर्थी नहीं रहने के कारण वादी (श्री विभा कुमारी) का अत्यंत पिछड़ा वर्ग से सेविका के लिए चयन किया गया। इसके बाद विपक्षी सं० – 04 (श्रीमती अंतिमा कुमारी) के द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, नरकटियागंज के समक्ष यह कहते हुए वाद दाखिल किया गया कि बाहुल्य वर्ग की एकमात्र अभ्यर्थी होने के बावजूद भी चयन समिति द्वारा उनका (श्रीमती अंतिमा कुमारी का) चयन नहीं किया गया है और उन्हें (श्रीमती अंतिमा कुमारी) वार्ड न० – 06 का मूल निवासी बताया गया है। आगे वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विपक्षी सं० – 04 (श्रीमती अंतिमा कुमारी) का आवासीय मकान भौतिक रूप से वार्ड	

WEB COPY NOT OFFICIAL

	न० – 06 में ही पड़ता है जो उनके (श्रीमती अंतिमा कुमारी) आवासीय मकान के चौहद्दी से स्पष्ट हो जाता है। साक्ष्य के रूप में ग्राम पंचायत राज सेरहवा के मुखिया के पत्रांक 201 दिनांक 02.05.2021 को संलग्न किया गया है जिसमें प्रतिवेदित है कि विपक्षी सं० –04 (श्रीमती अंतिमा कुमारी) का मकान वार्ड न०–06 में है। आगे वादी के विद्वान अधिवक्ता का दावा है कि विपक्षी सं०–04 (श्रीमती अंतिमा कुमारी) के पति, ससुर एवं सास का नाम वोटर लिस्ट में वार्ड न०–06 के क्रम सं०– 549, 544 एवं 545 पर है। तथा विपक्षी सं० – 04 (श्रीमती अंतिमा कुमारी) का नाम वार्ड न०–07 के वोटर लिस्ट में नहीं है। परन्तु इन सब बातों की जाँच किये बगैर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा वादी (श्री विभा कुमारी) के चयन को रद्द कर दिया गया। इसके बाद वादी (श्री विभा कुमारी) ने जिला प्रोग्राम कार्यालय, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के यहाँ वाद सं०– 158/2021 दायर किया जिसमें जिला प्रोग्राम कार्यालय ने एक महिला पर्यवेक्षिका से जॉच करवाकर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के आदेश को संपुष्ट कर दिया। जाँच की सूचना विपक्षी सं०–04 (श्रीमती अंतिमा कुमारी) का बताकर की गई तथा जाँच में महिला पर्यवेक्षिका मुन्नी देवी और रेखा कुमारी का स्थानीय जाँच रिपोर्ट को अभिलेख में नहीं लगाया गया और मनमर्जी टेबुल रिपोर्ट बनाया गया जो संदेहात्मक है। वादी के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य दावा यह है कि विपक्षी सं०–04 का घर भौतिक रूप से वार्ड न०–06 में है जिसकी जाँच निम्न न्यायालय द्वारा किया जाना आवश्यक था। वादी (श्री विभा कुमारी) वार्ड न०–07 की स्थायी निवासी है इसलिए आम सभा में उनका (श्री विभा कुमारी) चयन किया गया है जो उचित है। अंत में वादी के विद्वान अधिवक्ता ने जिला प्रोग्राम कार्यालय के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया है।	

WEB COPY NOT OFFICIAL

	विपक्षी सं०–04 (श्रीमती अंतिमा कुमारी) के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार वर्ष 2019 में बाल विकास परियोजना, नरकटियागंज अंतर्गत ग्राम पंचायत राज शेरहवा, वार्ड न०–07 में आँगनबाड़ी केन्द्र सं०–315 पर सेविका पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया। आँगनबाड़ी केन्द्र सं०–315 का बाहुल्य वर्ग अनुसूचित जाति है तथा चयन मार्गदर्शिका 2019 के नियम 09 के अनुसार सर्वप्रथम बाहुल्य वर्ग के अभ्यर्थी का चयन करना है। आगे विपक्षी संख्या–04 के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि दिनांक 08.02.2020 को हुए आम सभा में उपस्थित 04 अभ्यर्थी में से विपक्षी सं०–04 (श्रीमती अंतिमा कुमारी) ही बाहुल्य वर्ग की थी। इसलिए इनका (श्रीमती अंतिमा कुमारी) चयन करने की घोषणा कर दिया गया तथा महिला पर्यवेक्षिका ने विपक्षी सं०–04 (श्रीमती अंतिमा कुमारी) को कहा कि कागजी प्रक्रिया पूरा करने के बाद चयन–पत्र दे दिया जायेगा। बाद में महिला पर्यवेक्षिका ने गलत तरीके से आम सभा के कार्यवाही पंजी में विपक्षी सं०–04 (श्रीमती अंतिमा कुमारी) को वार्ड सं०–07 के बाहर का बताते हुए गलत तरीके से आवेदिका विभा कुमारी को चयन–पत्र निर्गत कर दिया। उक्त चयन के विरूद्ध विपक्षी सं०–04 (श्रीमती अंतिमा कुमारी) ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, नरकटियागंज के समक्ष वाद सं०–08/2020 दायर किया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने सुनवाई के दौरान विपक्षी सं०–04 (श्रीमती अंतिमा कुमारी) के निवास स्थान आँगनबाड़ी केन्द्र सं०–315 के पोषक क्षेत्र ग्राम पंचायत राज शेरहवा वार्ड सं०–07 में भौतिक रूप से रहने के संबंध में संयुक्त रूप से महिला पर्यवेक्षिका मुन्नी देवी एवं रेखा देवी से करवाया गया। दोनो महिला पर्यवेक्षिकाओं ने अपने पत्रांक 25 दिनांक 23.01.2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया कि विपक्षी सं०–04 (श्रीमती अंतिमा कुमारी) का घर	

WEB COPY NOT OFFICIAL

भौतिक रूप से शेरहवा पंचायत के वार्ड न०–07 में अवस्थित है।

विपक्षी संख्या–04 के विद्वान अधिवक्ता का यह भी दावा है कि वर्ष 2016 के पंचायत मतदाता सूची में ग्राम पंचायत राज शेरहवा, वार्ड न०–07 के क्रमांक सं०–100 पर विपक्षी सं०–04 (श्रीमती अंतिमा कुमारी) के पति–सुभाष कुमार राम का नाम, क्रमांक सं०–96 पर उनके ससुर–बुकुन राम का नाम, क्रमांक सं०–97 पर सास– गुड़िया देवी का नाम दर्ज है तथा वर्ष 2011 के मतदाता सूची में भी पूरे परिवार का गृह सं०–168 दर्ज है जो वार्ड सं०–07 में है। मैपिंग पंजी में भी वार्ड नं०–07 में विपक्षी सं०–04 (श्रीमती अंतिमा कुमारी) के ससुर का नाम दर्ज है। तथा विपक्षी सं०–04 (श्रीमती अंतिमा कुमारी) के आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण–पत्र, बैंक पास बुक इत्यादि में भी विपक्षी सं०–04 (श्रीमती अंतिमा कुमारी) का नाम वार्ड न०–07 में ही है। इस प्रकार दोनों निम्न न्यायालय ने भी पाया है कि विपक्षी सं०–04 (श्रीमती अंतिमा कुमारी) वार्ड न०–07 की निवासी है जिस आधार पर चयन किया गया है, जो सही है।

वहीं विद्वान सरकारी अधिवक्ता के अनुसार विपक्षी सं०–04 (श्रीमती अंतिमा कुमारी) को आम सभा में जब चयन नहीं हुआ तो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के यहां वाद दायर की। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने विपक्षी सं०–04 (श्रीमती अंतिमा कुमारी) के घर भौतिक जाँच महिला पर्यवेक्षिका से कराया एवं पाया कि उनका विपक्षी सं०–04 (श्रीमती अंतिमा कुमारी) घर वार्ड न०–07 में ही है जिस आधार पर उनका विपक्षी सं०–04 (श्रीमती अंतिमा कुमारी) चयन हुआ है। क्योंकि केन्द्र सं०–315 अनुसूचित जाति का सीट था और उस पर एकमात्र अभ्यर्थी विपक्षी सं०–04 (श्रीमती अंतिमा कुमारी) द्वारा ही आवेदन किया गया था एवं उनका चयन हुआ। इसलिए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया का

WEB COPY NOT OFFICIAL

आदेश सही है।

उभय पक्षों के उनके विद्वान अधिवक्ता, विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2019 में बाल विकास परियोजना, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण अंतर्गत ग्राम पंचायत राज शेरहवा वार्ड न०–07 में आँगनबाड़ी केन्द्र सं०–315 पर सेविका/सहायिका के पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया जो अनुसूचित जाति बाहुल्य वर्ग का सीट था एवं उस केन्द्र पर अनुसूचित जाति की एकमात्र अभ्यर्थी विपक्षी सं०–04 (श्रीमती अंतिमा कुमारी) थी। आम सभा में विपक्षी सं०–04 (श्रीमती अंतिमा कुमारी) को वार्ड सं०–07 का निवासी होने के आधार पर अयोग्य घोषित होने पर वादी का चयन किया गया। वाद का मुख्य बिन्दु विपक्षी सं०–04 (श्रीमती अंतिमा कुमारी) आँगनबाड़ी केन्द्र सं०–315 के पोषक क्षेत्र ग्राम पंचायत शेरहरवा वार्ड न०–07 के निवासी होने/नहीं होने का है। उक्त के संबंध में वादी के विद्वान अधिवक्ता का यह कहना कि विपक्षी सं०–04 (श्रीमती अंतिमा कुमारी) वार्ड न०–06 की निवासी है साक्ष्य के रुप में उनके द्वारा वर्ष 2021 का मतदाता सूची संलग्न किया गया है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उक्त केन्द्र पर विज्ञापन का प्रकाशन वर्ष 2019 में हुआ है एवं आम सभा का आयोजन 02.08.2020 को हुआ है। आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका नियुक्ति मार्गदर्शिका–2019 के **नियम–05** में स्पष्ट रुप से उल्लेखित है कि ***''यदि आवेदिका का घर भौतिक रुप से रिक्त वाले वार्ड (ग्रामीण क्षेत्र)/पोषक क्षेत्र (शहरी क्षेत्र) में है और वह वहॉ रह रही है, लेकिन उनका नाम अंतिम पंचायत चुनाव/अंतिम नगर निकाय चुनाव मतदाता सूची में यदि किसी कारण छुट गया तो उनका या उनके पति या ससुर का नाम अंतिम पंचायत चुनाव/अंतिम नगर***

WEB COPY NOT OFFICIAL

	निकाय चुनाव के ठीक पूर्ववर्ती नगर निकाय चुनाव की अंतिम मतदाता सूची में अवश्य अंकित होना चाहिए।'' अर्थात वर्ष 2016 के मतदाता सूची या उससे पूर्व के मतदाता सूची को देखना है। वर्ष 2016 के मतदाता सूची के क्रमांक 100 पर विपक्षी सं०–04 (श्रीमती अंतिमा कुमारी) के पति–श्री सुभाष कुमार, जिनका **पहचान–पत्र सं०–UMN1478270** है का नाम दर्ज है। जिससे यह साबित होता है कि विपक्षी सं०–04 (श्रीमती अंतिमा कुमारी) वार्ड सं०–07 के निवासी है जिस आधार पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने अपना आदेश पारित किया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में निम्न न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत वाद अस्वीकृत किया जाता है। *आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।* **लेखापित एवं संशोधित** **आयुक्त** **आयुक्त**	

WEB COPY NOT OFFICIAL